भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-62
उत्तर देने की तारीख 18 जुलाई, 2018

सिम कार्डों की क्लोनिंग

62. डॉ. उदित राज:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में चीनी कंपनियों द्वारा विनिर्मित मोबाइल-चिपों द्वारा मोबाइल सिम कार्डों की क्लोनिंग और ग्राहकों का डाटा और जानकारी चुराने के मामलों की ओर ध्यान दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;
(ख) क्या उक्त घटनाओं से देश में गंभीर खतरा पैदा होने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और
(ग) इस खतरे को रोकने और चीनी मोबाइल चिपों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कार्रवाई की गई है ?

उत्तर
संचार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और रेल राज्य मंत्री
(श्री मनोज सिन्हा)

(क) और (ख): ग्राहकों का डाटा और जानकारी चोरी करने के आशय से मोबाइल सिम कार्ड की 'क्लोनिंग' करने जैसा कोई विशिष्ट मामला विभाग के सामने नहीं आया है ।

(ग): लाइसेंस शर्तों के अनुसार, दूरसंचार सेवा प्रदाता तकनीकी-वाणिज्यिक पहलुओं के मद्देनजर किसी भी देश से दूरसंचार उपकरण खरीदने के लिए स्वतंत्र होते हैं । विदेश व्यापार नीति के अनुसार सिम कार्डों को किसी भी देश से निर्बाध रूप से आयात किया जा सकता है । सिम कार्ड और दूरसंचार सेवा प्रदाता (टीएसपी) के नेटवर्क दोनों में सुरक्षा संबंधी विशेषताएं होती हैं जिसके कारण ' क्लोनिंग ' नहीं की जा सकती है । यद्यपि कुछ अनुप्रयोग ऐसे हैं जिनके बारे में यह दावा किया गया है कि यदि सिम कार्ड किसी के हाथ में लग जाए तो ऐसे अनुप्रयोगों द्वारा सिम में उपलब्ध जानकारी की नकल हो सकती है । तथापि किसी भी सिम कार्ड की इस तरह नकल अथवा कॉपी करने से सिम कार्ड की ' क्लोनिंग ' नहीं होती है क्योंकि दूरसंचार नेटवर्कों में सिम की पहचान और प्रमाणीकरण के लिए विभिन्न तकनीकी उपाय मौजूद हैं ताकि सिम कार्ड को संरक्षित किया जा सके । इन विभिन्न उपायों में निम्नलिखित उपाय शामिल हैं :-

जारी....2

(i) सिम के 'सुरक्षित मेमोरी क्षेत्र ' में ' प्रमाणीकरण-की (केआई) ' और ' सिफरिंग-की (केसी) ' को उपलब्ध कराना ।

(ii) ' प्रमाणीकरण-की ', ' पीढ़ी (जनरेशन)-की ' और ' एनक्रिप्शन की ' का पता लगाने के लिए ' सेट वैल्यू ' से अधिक बार उपयोग किए जाने वाले ' ब्रूट फोर्स मेथड ' के मामले में ' स्व-विनाश (सेल्फ-डिस्ट्रक्ट) ' सुविधा के साथ सिम के लिए ' क्रिप्टो-एल्गोरिदम ' को उपलब्ध कराना ।

(iii) ' व्यैक्तिगत पहचान संख्या (पिन) ' जो कि प्रयोक्ता-समनुरूप है और ' पिन अनब्लॉकिंग-की (पीयूके) ' जो केवल दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाती है, को उपलब्ध कराना । ' सेट-वैल्यू ' (तीन) से अधिक बार गलत पिन का उपयोग करने से सिम ब्लॉक हो जाती है जिसे ' पीयूके ' का उपयोग करके ही ' अनब्लॉक ' किया जा सकता है । ' सेट-वैल्यू ' से अधिक बार ' पीयूके ' का गलत उपयोग करने से ' सिम कार्ड ' स्थायी रूप से खराब हो जाता है ।

****